समझौता ज्ञापन

यह समझौता ज्ञापन एक पक्षकर के रूप में **राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान** (ग्राहक विभाग/संगठन का नाम) के माध्यम से (जिसे यहां एतदपश्चात ''ग्राहक'' कहा गया है) जिसके अन्तर्गत जब तक संदर्भ के प्रतिकूल न हो, उसके उत्तरावर्ती भी सम्मिलित है।

तथा

दूसरे पक्षकार के रूप में **ग्रामीण अभियन्त्रण सेवा** (निर्माण एजेन्सी का नाम) के माध्यम से (जिसे यहां एतद्पश्चात ''निर्माण एजेन्सी'' कहा गया है) जिसके अन्तर्गत, जब तक संदर्भ के प्रतिकूल न हो, उसके उत्तरावर्ती तथा समनुदेशिनी भी सम्मिलित हैं।

के बीच

आज वर्ष 2010 के नवम्बर महीने की 09 तारीख को निष्पादित किया गया।

जबकि ग्राहक के प्रस्ताव पर निर्माण एजेन्सी नीचे अभिलिखित शर्तो और निबन्धनों के अधीन निर्माण तथा सम्बन्धित कार्य, जिसे यहां एतद्पश्चात ''निर्माण कार्य'' कहा गया है, करने के लिए सहमत हो गई है

1. राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान के अन्तर्गत उत्तराखण्ड के 08 जिलों (पौड़ी गढ़वाल, टिहरी गढ़वाल, चमोली, रूद्रप्रयाग, नैनीताल, बागेश्वर, पिथौरागढ एवं ऊधमसिंह नगर) में निर्मित होने वाले विद्यालय भवनों, कक्षा–कक्षों, प्रयोगशाला –कक्ष, शौचालय एवं पेयजल संयोजन इत्यादि निर्माण कार्यों को लोक निर्माण विभाग द्वारा जारी Schedule of Rate में स्वीकृत दरों तथा उक्त कार्यो हेतु लोक निर्माण विभाग द्वारा स्वीकृत विशिष्टियों के अनुसार निर्माण कार्यो को पूर्ण किया जायेगा।
2. यह सहमति हो गई है कि प्राकृतिक आपदा/भूमि उपलब्धता के मामलों को छोड़कर विभिन्न प्रकार के निर्माण कार्यो की प्रगति के लिए निम्नलिखित समयसारणी होगी। कार्यवार समय सारणी एवं वर्क चार्ट जनपदवार कार्य आरम्भ होने से पूर्व तैयार कर अनुमोदित करवा लिया जायेगा। भूमि उपलब्ध कराने का पूर्ण उत्तरदायित्व ग्रहक एजेन्सी का होगा।

क्र0सं0	मद	कुल अवधि
1	सम्पूर्ण भवन	15 माह
2	कक्षा कक्ष	06 माह
3	प्रयोगशाला (स्वीकृत)	06 माह
4	कम्प्यूटर लैब	06 माह
5	पुस्तकालय	06 माह
6	आर्ट–क्राफ्ट	06 माह
7	गर्ल्स एक्टिविटी रूप	06 माह
8	शौचालय ब्लॉक व पेयजल (शारीरिक अक्षम छात्रों को देखते हुए)	04 माह

3. भवनों, कक्षा–कक्ष एवं अन्य सभी निर्माण कार्यो को प्रारम्भ करने से पूर्व कार्यदायी संस्था द्वारा विस्तृत आर्किटेक्चरल डिजाइन तथा आगणन इत्यादि एम0ओ0यू0 किये जाने के एक माह अन्दर निर्माण एजेन्सी, ग्राहक संस्था को उपलब्ध करायेगी।

4. कार्यदायी संस्था द्वारा पूर्ण भवन एवं कक्षा–कक्ष इत्यादि निर्माण कार्यो का मैदानी क्षेत्र एवं पर्वतीय क्षेत्र के मॉडल डिजाइन, आर्किटेक्ट तथा आगणन (विल आफ क्वांटिटी सहित) तैयार कर एम0ओ0यू0 किये जाने के एक माह के बाद निर्माण एजेन्सी ग्राहक संस्था को उपलब्ध करायेगी। डिजाइन, आर्किटेक्ट तथा आगणन तैयार करने हेतु धनराशि आकस्मिक निधि से ही वहन की जायेगी। कार्यस्थल की वास्तविक स्थिति तथा आवश्यक प्राविधानों का सम्मिलित करते हुए आगणन प्रस्तुत किये जायेगें।

5. ग्राहक उपरोक्त पैरा 2 में निर्दिष्ट समयसारणी के परिप्रेक्ष्य में भौतिक प्रगति तथा पूर्व में मुक्त निधियों/अन्तिम संवितरण की वित्तीय प्रगति के अनुसार निर्माण एजेन्सी को पर्याप्त धन (निधि) का प्रवाह सुनिश्चित करेगा। निधियों (धन) को मुक्त करने की पूर्व शर्तो के अधीन, जिनका यहां उल्लेख किया गया है, ग्राहक मांग के 30 दिन अन्दर निधियां मुक्त करना सुनिश्चित करेगा। सम्पूर्ण धनराशि तीन बराबर किस्तों में जारी की जायेगी। ग्राहक एजेन्सी सुनिश्चित करेगी की निर्माण एजेन्सी को धन के आबटन में कोई विलम्ब न हो अन्यथा विलम्ब के लिए ग्रहक एजेन्सी उत्तरदायी होगी।

6. यदि निर्माण कार्य की प्रगति उपरोक्त पैरा 2 में निर्धारित लक्ष्यों के अनुरूप नहीं होती है तो ग्राहक, निर्माण एजेन्सी से निर्माण कार्यो को वापिस ले सकता है और किसी अन्य एजेन्सी को आबंटित कर सकता है। ऐसी स्थिति में निर्माण एजेन्सी ग्राहक अथवा ऐसी एजेन्सी को जिसके लिए ग्राहक निर्देश दे, निर्माण कार्य 'जहाँ है जैसी है' आधार पर निर्मित भाग और निर्माण सामग्री, औजार तथा संयत्र, डिजाइन, रेखाचित्र तथा अन्य समस्त सामग्री/अभिलेख आदि तत्काल शांतिपूर्वक लौटा देगी, ताकि निर्माण कार्य के क्रियान्वयन पर प्रतिकूल प्रभाव न पड़े। ऐसी स्थिति में निर्माण एजेन्सी किसी प्रतिकर तथा/या दावे के, जो भी हो, हकदान नहीं होगी।

7. उपरोक्त पैरा 2,3,4,5,6 के प्रयोजन हेतु निर्माण कार्य की निर्माण स्थल पर दोनों पक्षों द्वारा संयुक्त रूप से कम से कम प्रतिमाह समीक्षा की जाएगी और ऐसी समीक्षा का कार्यवृत्त अभिलेख (रिकार्ड) और अग्रेतर उपयोग के लिए संयुक्त रूप से हस्ताक्षरित होगी।

   ऐसे पुनरीक्षण (समीक्षा) की रीति ग्राहक द्वारा विनिश्चित की जायेगी।

8. निर्माण कार्य और उसके विभिन्न संघटकों के प्रयोजन हेतु अधिप्राप्ति समय–समय पर लागू उत्तराखण्ड शासन की अधिप्राप्ति नियमावली के अनुसार की जाएगी।

9. निर्माण एजेन्सी सृजित परिसम्पत्तियों आदि की निर्माण स्थल पर सुरक्षित रखने, उनकी सुरक्षा और परिरक्षण के लिए पूर्णतः उत्तरदायी होगी तथा सृजित परिसम्पत्तियों को हुई किसी हानि अथवा क्षति की निर्माण एजेन्सी द्वारा क्षतिपूर्ति करनी होगी।

10. निर्माण एजेन्सी सुनिश्चित करेगी कि निर्माण कार्य में अपेक्षित/पर्याप्त भूकम्परोधी तकनीकें, डिजाइन तथा संरचनाएं अपनायी गयी हैं।

11. निर्माण एजेन्सी सुनिश्चित करेगी कि पर्याप्त/अपेक्षित वर्षा जल संचय प्रणालियां शामिल की गयी है।

12. निर्माण एजेन्सी अपने प्राधिकृत अधिकारी द्वारा सम्यक रूप से अधिप्रमाणित निर्माण कार्य की मासिक (भौतिक तथा वित्तीय) प्रगति की रिपोर्ट देगी। निर्माण एजेन्सी भौतिक और वित्तीय रिपार्ट के साथ उसके पास उपलब्ध निधियों तथा प्रतिमाह अर्जित ब्याज (यदि अर्जित किया गया हो तो) का विवरण भी उपलब्ध कराएगी। निर्माण

एजेन्सी निर्माण कार्य की प्रगति तथा उसके पास निधि की उपलब्धता के आधार पर कम से कम आगामी चार माह के लिए अपेक्षित मासिक निधि की मांग भी प्रस्तुत करेगी।

13. निर्माण एजेन्सी निर्माण कार्य के सम्बन्ध में एक पृथक लेखा/खाता रखेगी तथा निर्माण कार्य सौंपने से पहले उसको उपलब्ध करायी गई कुल निधियों, मदवार/कार्यवार व्यय/अर्जित कुल ब्याज तथा निर्माण कार्यो के लेखा के अन्तिम अवशेषों का अधिप्रमाणित विवरण प्रस्तुत करेगी। निर्माण एजेन्सी निर्मित कार्यो को सौपने से पहले ग्राहक को अर्जित ब्याज सहित कुल शेष धनराशि लौटायेगी।

14. निर्माण एजेन्सी निर्माण कार्यो की समस्त सामग्री तथा निर्माण कार्यो की गुणवत्ता मानक सुनिश्चित करने के लिए उत्तरदायी होगी। तद्नुसार निर्माण एजेन्सी गुणवत्ता मानक सुनिश्चित करने के लिए प्रख्यात व्यावसायियों/परामर्शदाताओं द्वारा नियतकालिक निरीक्षण सुनिश्चित करेगी तथा इन निरीक्षणों की रिपोर्ट ग्राहक को भी प्रेषित की जाएगी। गुणवत्ता के आश्वासन के लिए निर्माण एजेन्सी उत्तरदायी होते हुए भी ग्राहक अथवा उसके द्वारा या सरकार द्वारा प्राधिकृत कोई व्यक्ति या प्राधिकारी/विद्यालय प्रबन्धन एवं विकास समिति (SMDC) किसी भी समय और समय–समय पर निर्माण कार्य की गुणवत्ता तथा प्रगति की जांच/अनश्रवण के लिए निर्माण कार्यो का निरीक्षण कर सकेगा, जिसके लिए निर्माण एजेन्सी निरीक्षक दल को अपेक्षित सूचना और सहायता प्रदान करेगी। निर्माण एजेन्सी सदैव विस्तृत आकलन, रेखाचित्र, डिजाइन, जांच रिपोर्ट, गुणवत्ता तथा अनुश्रवण रिपार्ट, सामग्री रजिस्टर/टी0एण्डपी0/निर्माण स्थल पर श्रमिक/अभियंन्त्रण कर्मचारी आदि का विवरण उपलब्ध करायेगी। यदि निर्माण कार्य के दौरान और निर्माण कार्य की समाप्ति के बाद निरीक्षण के दौरान कोई त्रुटि या अन्तर दिखायी दे तो निर्माण एजेन्सी द्वारा उन्हें सुधारना होगा। निर्माण एजेन्सी गुणवत्ता अनुश्रवकों (मानीटर्स) की अभियुक्तियों/रिपोर्टों को सुधारने के तथा 01 माह अवधि के अन्दर अनुपालन के लिए भी बाध्यकारी होगी। यदि निर्माण एजेन्सी त्रुटियों/अन्तर को सुधारने में असफल रहती है और/या त्रुटियों की पुनरावृत्ति होती रहती है और त्रुटियां गम्भीर प्रकृति की हैं, तो ग्राहक पैरा 6 के उपबन्धों के अनुसार निर्माण कार्य वापस ले सकता है। निर्माण एजेन्सी द्वारा नियुक्त अभियन्ता विद्यालय प्रबन्धन एवं विकास समिति (SMDC) की उप समिति–निर्माण समिति का पदेन सदस्य सचिव होगा।

यदि निर्माण एजेन्सी द्वारा त्रुटियां सुधारी नहीं जाती और/या कार्य, निर्माण एजेन्सी से वापस लिया जाता है तो ग्राहक निर्माण एजेन्सी से समुचित हरजाना वसूल कर सकता है। यदि निर्माण कार्य के दौरान अथवा निर्माण कार्य की समाप्ति के पश्चात गंभीर त्रुटियां ग्राहक विभाग के संज्ञान में आती है तो निर्माण एजेन्सी दो माह के भीतर दोषी अधिकारियों/पदाधिकारियों को उत्तरदायित्व नियत करेंगी।

15. त्रुटियों के लिए दायिता अवधि ग्राहक को निर्माण कार्य सौंपने की तारीख से 1 वर्ष होगी। निर्माण एजेन्सी ग्राहक द्वारा समय–समय पर सूचित किये जाने वाली त्रुटियां अपने खर्चे पर ग्राहक द्वारा विनिर्दिष्ट अवधि के अन्दर सुधारेगी। ग्राहक निर्माण अवधि के दौरान भी त्रुटियों को सूचित कर सकता है, जिसके लिए त्रुटियों को सुधारने की अवधि वह होगी जो ग्राहक द्वारा अपनी रिपोर्ट में अथवा अन्यथा निर्दिष्ट की जाए।

16. समझौता ज्ञापन में किसी अन्य उपबन्ध के होते हुए भी उपरोक्त पैरा 2 में उल्लिखित प्राविधानों के अनुसार परियोजना के कार्यान्वयन/निर्माण में विलम्ब की दशा में इस

निर्माण कार्य पर **दिनांक 22–05–2008** के शासनादेश के निम्नलिखित प्राविधान लागू होगें।

i. निर्माण कार्यो की लागत का पुनरीक्षण की अनुमति बिल्कुल नही दी जायेगी। यदि अतिरिक्त कार्य बताये जायेगें तभी पुनरीक्षण मान्य होगा।

ii. उपरोक्त पैरा 2 में निर्दिष्ट समय सारणी के अनुसार निर्माण कार्य को पूर्ण करने या उसकी प्रगति में विलम्ब की स्थिति में 0.1 प्रतिशत प्रतिमाह (3 माह तक के विलम्ब की स्थिति में) अथवा उसके बाद 0.25 प्रतिशत प्रतिमाह की कटौती निर्माण एजेन्सी से की जायेगी।

17. कार्यदायी संस्था निर्माण कार्य समाप्त होने से एक माह पूर्व ग्राहक के प्राधिकृत व्यक्ति को सूचित करेगी जिससे कि प्राधिकृत व्यक्ति द्वारा समयानुसार निरीक्षण तथा हस्तान्तरण की कार्यवाही की जा सके। निर्माण एजेन्सी निर्मित कार्यो को सौपने के समय या उससे पहले ग्राहक को अधिप्रमाणित तथा सम्यक रूप से अनुमोदित विस्तृत आंकलन, समस्त रेखाचित्र, डिजाइन, भवन/निर्माण कार्य में प्रदान की गई सेवा के रेखाचित्र उपलब्ध करायेगी। ग्राहक एजेन्सी द्वारा नियुक्त प्राधिकृत यदि हस्तान्तरण के समय निर्माण कार्य में कोई कमी पाता है तो निर्माण एजेन्सी को उक्त कमी एक माह के अन्दर पूरा कर देना होगा। अन्यथा ग्राहक द्वारा एक माह के अन्दर भवन का अधिग्रहण किया जायेगा।

18. ग्राहक/उक्त कार्यो में अथवा कार्यो पर निर्माण एजेन्सी के नियोजन में श्रमिक/अन्य व्यक्ति को दुर्घटना अथवा चोट लगने के कारण अथवा निर्माण एजेन्सी, उसके कर्मचारियों अथवा एजेन्ट (एजेंटों) के किसी कार्य, त्रुटि अथवा असावधानी, भूलचूक, गलत निर्णय के कारण हुई हानि, क्षति अथवा प्रतिकर के लिए सक्षम प्राधिकारी द्वारा अवधारित प्रतिकर अथवा क्षति के लिए, जैसा कि संगत विधियों में परिभाषित किया जाए, निर्माण एजेन्सी उत्तरदायी होगी तथा उसे ग्राहक की क्षतिपूर्ति करनी होगी। निर्माण में त्रुटियों के लिए भी निर्माण एजेन्सी उत्तरदायी रहेगी और निर्माण में ऐसी त्रुटियों के कारण हुई क्षति की पूर्ति करेगी।

19. प्रत्येक निर्माण कार्य को भारत सरकार/राज्य सरकार द्वारा उपलब्ध करायी गयी धनराशि के अन्तर्गत स्वीकृत आगणन के अनुसार ही पूर्ण करना होगा।

20. यदि कोई विवाद होता है तो उसे विवाद निवारण समिति द्वारा, जिसमें निम्नलिखित सदस्य होगें निवारण किया जायेगाः–

1. प्रमुख सचिव/सचिव ग्राहक विभाग।
2. विभाग जिसके प्रशासनाधीन निर्माण एजेन्सी है उस विभाग का प्रमुख सचिव/सचिव।
3. वित्त विभाग का प्रतिनिधि।
4. नियोजन विभाग का प्रतिनिधि।

समिति का निर्णय दोनों पक्षों पर बाध्यकारी होगा।

इसके साक्ष्य स्वरूप पक्षकारों ने अपने प्राधिकृत प्रतिनिधियों के माध्यम से इस विलेख पर ऊपर सर्वप्रथम उल्लिखित तारीख, माह और वर्ष को हस्ताक्षर किये और अपनी मोहर लगाई।

ग्राहक के लिए और उसकी ओर से

नाम (सौजन्या)

पदनाम

साक्षी

1. (पी. के. जोशी) 10/11/2010
वित्त नियंत्रक
उत्तराखण्ड सभी के लिये
माध्यमिक शिक्षा परिषद
देहरादून

2. (M. S. Bisht)

राज्य परियोजना निदेशक
उत्तराखण्ड सभी के लिये
माध्यमिक शिक्षा परिषद
देहरादून

निर्माण एजेन्सी के लिए ओर उसकी ओर से

नाम 10/11/10

पदनाम (B. S. RAIRA)

साक्षी

1. मुख्य अभियन्ता
ग्रामीण अभियन्त्रण सेवा विभाग
उत्तराखण्ड, देहरादून

2. (M. S. RAUTELA)
अधिशासी अभियन्ता
कार्यालय मुख्य अभियन्ता
ग्रामीण अभियन्त्रण सेवा विभाग

(ललित मोहन)
सहायक अभियन्ता
ग्रामीण अभियन्त्रण सेवा विभाग
देहरादून